M P AGRO

पोषण आहार संयंत्र मण्डला

31.03.2021 एवं आगे की अवधि में वेस्टेज मुर्गीदाना का विक्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र

आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 12.02.2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पोषण आहार संयंत्र मण्डला

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पोषण आहार संयंत्र मण्डला–481661

Mail Id- thrmandla@gmail.com

क्र./मण्डला/पो.आ./2020–21/............... दिनॉक ....

निविदा सूचना

संयंत्र में दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधि निम्नानुसार कार्य निविदा पद्धति से कराये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में संयंत्र द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निम्नानुसार कार्यो हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरे आमंत्रित की जाती है–

क्रं	कार्य
1	पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डला में उत्पादन के पश्चात प्राप्त होने वाले शक्कर, गेहूं, चावल, विभिन्न दाले, सोया फ्लोर, विटामिन मिनरल, एफआरके, मिल्क पाउडर, नमक आदी के **वेस्टेज मुर्गीदाना** का विक्रय किये जाने हेतु
2	पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डला में उत्पादन के पश्चात प्राप्त होने वाले शक्कर, गेहूं, चावल, विभिन्न दाले, सोया फ्लोर, विटामिन मिनरल, एफआरके, मिल्क पाउडर, नमक आदी के खाली जूट बैंग/एचडीपीई, वेस्टेज(खराब लेमीनेटेड पाउच) आदि **बारदाना** का विक्रय किये जाने हेतु

निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 12.02.2021 तक अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पोषण आहार संयंत्र मण्डला

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पोषण आहार संयंत्र मण्डला–481661

Mail Id- thrmandla@gmail.com

क्र./मण्डला/पो.आ./2020–21/............... दिनॉक ....

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा मध्यप्रदेश के मण्डला जिले में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्र के संचालन का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है जिनकी उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:–

क्रं.	स्थान का नाम	कुल स्थापित क्षमता (मी.टन)	उत्पादित की जाने वाली सामग्री
01	मण्डला संयंत्र	2500	1680 मी.टन पावडर, 820 मी.टन खिचड़ी

संयंत्र उत्पादन के पश्चात प्राप्त होने वाले शक्कर, गेहूं, चावल, विभिन्न दाले, सोया फ्लोर, विटामिन मिनरल, एफआरके, मिल्क पाउडर, नमक आदी के वेस्टेज मुर्गीदाना, का विक्रय ठेका पद्धती पर करने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

कं	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र राशि (रू. में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रू. में)
1	2	3	4
01	वेस्ट मुर्गीदाना (गेंहू, चावल, दाल एंव शक्कर इत्यादि)	**1180**	**20,000**

उपरोक्त सामग्री का विक्रय जंहा है जैसी अवस्था में है के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त सामग्री के विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया गया हैं। इच्छुक निविदाकार कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptender.gov.in से दिनांक 12.02.2021 तक अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र दिनांक 15.02.2021 अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (एक निविदाकार की तरफ से केवल एक) खोले जाएंगे। निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website-www.mpagro.org तथा www.mptender.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा। इसके लिए अलग से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

मुर्गीदाने की निविदाऐं पृथक पृथक प्रस्तुत की जाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पोषण आहार संयंत्र मण्डला

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पोषण आहार संयंत्र मण्डला–481661

Mail Id- thrmandla@gmail.com

पूरक पोषण आहार संयंत्र मण्डला, में वेस्टज मुर्गीदाना विक्रय का कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 1180.00
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का **भुगतान कर दिनॉक 28.01.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 12.02.2021 अपरान्ह् 2.00 बजे तक**
संकल्प धन राशि (EMD)	रू 100000/– (रू एक लाख मात्र)
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक **28.01.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 12.02.2021 अपरान्ह् 2.00 बजे तक**
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 08.02.2021 अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पोषण आहार संयंत्र मण्डला)
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.02.2021 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दिनांक 15.02.2021 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पोटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय– समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पोषण आहार संयंत्र मण्डला

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पोषण आहार संयंत्र मण्डला–481661

Mail Id- thrmandla@gmail.com

पोषण आहार संयंत्र बाबई, होशंगाबाद मुर्गीदाना का क्रय दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधि में करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 17 पृष्ठ निम्नानुसार है:–

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	7
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	8–14
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	15
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची –4	16
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –5	17

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
•	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य में जिला मण्डला में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्र
•	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
•	ठेकेदार	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर मुर्गीदाना का क्रय करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
•	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 6 के अनुसार
•	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 12 के अनुसार
•	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
•	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
•	संयंत्र प्रभारी	संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ संयंत्र प्रभारी,

अनुसूची–1

पोषण आहार संयंत्र में पूरक पोषण आहार के मुर्गीदाना का कार्य करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
पोषण आहार संयंत्र मण्डला
जिला मण्डला

विषय– मुर्गीदाना का क्रय करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

निगम द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्र मण्डला में मुर्गीदाना का क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	व्यक्ति /निजी कंपनी, निजी/ पार्टनरशिप फर्म/अन्य फर्म	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्रं0 फैक्स क्रमांक Email	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर /निजी कंपनी, निजी/ पार्टनरशिप फर्म/अन्य फर्म होने की दशा में	....
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रू 1180/–	To be Submitted Online
8	**संकल्प धन राशि (EMD) रू 100000/–**	To be Submitted Online
9	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 से 15 एवं 17 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ क्रमांक 16 वित्तिय निविदा प्रारूप) की फोटो प्रति अपलोड नही की जाना है।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

नोट :–

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 12.02.2021 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डल (म.प्र.) –481661 में उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है ।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पोषण आहार संयंत्र मण्डला–481661

Mail Id- thrmandla@gmail.com

अनुसूची 2

कार्य का स्वरूप

1. **सामान्य जानकारी –**

01. निगम द्वारा यह निविदा मण्डला जिला मण्डला में संचालित पूरक पोषण आहार संयंत्र में उत्पादन के पश्चात प्राप्त होने वाले शक्कर, गेहूं, चावल, विभिन्न दाले, सोया फ्लोर, विटामिन मिनरल, एफआरके, मिल्क पाउडर, नमक आदि का वेस्टेज मुर्गीदाना के विक्रय करने हेतु आमंत्रित की गई है।
02. सामग्री का विक्रय ''जहां है,जैसी है'',के आधार पर किया जाएगा। सामग्रियों की छटाई का अधिकार निविदाकार को नहीं होगा । वर्तमान में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन निविदाकार दरें प्रस्तुत करने के पूर्व पोषण आहार संयंत्र, में स्वयं के खर्चे से उपस्थित होकर कार्यालयलीन समय में कर सकते हैं । सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति भविष्य में मान्य नहीं की जाएगा ।
03. निविदाकार को संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार सामग्री को उठाने का कार्य करना होगा, एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित निविदाकार की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा ।
04. मुर्गी दाने हेतु पृथक पृथक निविदाऐं प्रस्तुत की जाना है।

2. **सामान्य शर्ते**

2.1 अर्हता –

2.1.1 निविदाकर्ता व्यक्ति अथवा / निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य प्रकार की संस्था हो सकती है।

2.1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।

2.1.3 निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में GST धारक होना चाहिए।

3. **आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ति–**

3.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 28.01.2021 अपरान्ह 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 28.01.2021 अपरान्ह 2.00 बजे से 12.02.2021 अपरान्ह 2.00 बजे तक कर सकते है।

3.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 1000+GST = 1180 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है ।

3.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

3.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं व संयंत्र की भौतिक स्थितीयों से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

4. **प्री बिड मीटिंग**– निविदा के संबंध में दिनांक 08.02.2021 को अपरान्ह् 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी दि.एम.पी स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पोषण आहार संयंत्र मण्डला संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 12.02.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे ।

5. निविदा के साथ संकल्प धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी

6. <u>**संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है**</u> :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रमांक 3.3 में वर्णित दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की <u>**संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में**</u> वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7. <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना</u> –

7.1 ऑन लाईन निविदा दिनांक 12.02.2021 अपरान्ह् 2.00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

7.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लेवें। mptenders की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

7.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. PAN की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. कंपनी / फर्म होने की दशा में GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
4. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
5. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
6. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
7. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
8. अनुसूची क्रं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर–वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत् स्केन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

7.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर) दिनांक 12.02.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक कार्यालय दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पोषण आहार संयंत्र मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.) –481661 में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में **<u>"मुर्गीदाना के क्रय हेतु निविदा–तकनीकी विवरण"</u>** लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है । **लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण** –

1. शर्त क्रं 3.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 1180/–ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण ।
2. शर्त क्रं 5 के अनुसार संकल्प राशि ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण।
3. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र ।
4. PAN तथा GST No (आवश्यकता अनुसार)की स्वप्रमाणित प्रति ।
5. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ क्रं. 1 से 16 एवं 20 तक) (पृष्ठ क्रमांक 17–19 को छोड़कर)
7. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

7.5. अनुसूची–5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

7.6 लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''**पोषण आहार संयंत्र मण्डला में मुर्गीदाना के क्रय हेतु निविदा तकनीकी विवरण** '' लिखा जावे।

8 निविदा खोला जाना–

8.1 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 15.02.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

8.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

8.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त क्रं 7.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

8.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

9 दर प्रस्तुत करना –

9.1 **मुर्गीदाना के क्रय हेतु** दरें दी जाना हैं। दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों संयंत्र स्तर पर लोड़िग आदी सभी व्यय सम्मिलित रहेंगे ।

9.2 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

9.3 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा ।

9.4 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

10. निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

10.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।

10.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी ।

10.3 प्रबंध संचालक द्वारा कडिंका क्र0 9.4 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।

10.4 उक्तानुसार कडिंका 10.3 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम अधिकतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–5 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

10.5 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

10.6 उपरोक्त कण्डिका क्र0 10.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय अधिकतम दर देने वाले योग्य निविदाकार को देते हुए अनुबंध कर कार्य आवंटन कर सकेंगे । द्वितीय अधिकतम दर देने वाले निविदाकार के सहमत न होने की दशा में सभी वैध निविदाकार जिनके द्वारा निविदा में भाग लिया गया है को प्रतिप्रस्ताव देते हुये निगम सामग्री का विक्रय करने का अधिकारी रहेगा।

11. अनुबंध –

11.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता ठेकेदार कहलाऐंगे।

11.2 निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची–5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। निविदाकार द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम निविदाकार द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से निविदाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

11.3 अनुबंधित दरें दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।

11.4 अनुबंध होने के उपरांत **मुर्गीदाना के क्रय के कार्य को** किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

12. धरोहर राशि–

12.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

12.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

12.3 **धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है–**

1. ठेकेदार द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
2. ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।
3. ठेकेदार द्वारा सामग्री नहीं उठाने की दशा में।

13. कार्य का स्वरूप तथा दायित्व –

1. सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति भविष्य में मान्य नहीं की जाएगा ।
2. मुर्गीदाने की दरें प्रति किलोग्राम में दी जावें।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

4. संकल्प धनराशि/धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
5. सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि को धरोहर राशि के रूप में मान्य किया जाएगा ।
6. प्रस्तुत दरें अनुमोदन की दिनांक से दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधी अर्थात नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।
7. पोषण आहार संयंत्र मे मुर्गीदाना रखने के लिए स्थान सीमित है अतः सफल निविदाकार को प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं 30 तारीख को संयंत्र मे उपलब्ध मुर्गीदाना की राशि अग्रिम रूप से जमा कर सामग्री को उठाना होगे।
8. निविदाकार द्वारा मुर्गीदाना उठाने हेतु संयंत्र प्रभारी से तीन दिन पूर्व सामग्री की मात्रा की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी । राशि जमा करने के पश्चात अधिकतम दो दिवस मे सामग्री उठाना होगा । स्थान के अभाव के कारण समय पर सामग्री नहीं उठाने की स्थिति मे निगम द्वारा खुले स्थान मे रखवा दिया जायेगा ऐसी स्थिति मे होने वाली क्षति की जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
9. समय पर सामग्री नहीं उठाने की स्थिति मे संयंत्र प्रभारी के सूचित करने के उपरांत अनुबंध की अवधि के दौरान केवल दो बार अधिकतम सात दिवस का अतिरक्त समय दिया जावेगा। यदि दो से अधिक बार निर्धारित समयावधि में सामग्री नहीं उठाई जाती है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकार द्वारा जमा धरोहर राशि जप्त कर ले और स्वीकृत दरों को निरस्त कर दे ।
10. किसी भी निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और न ही ऐसा करने का कारण बताया जाना आवश्यक होगा

14. **<u>भुगतान</u>–**

14.1 निविदाकार को प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं 30 तारीख को संयंत्र मे उपलब्ध मुर्गीदना की राशि अग्रिम रूप से संयंत्र में जमा करई जानी है।

14.2 ठेकेदार की लापरवाही से संयंत्र में होने वाले किसी भी प्रकार की हानी का उत्तरदायत्वि ठेकेदार का होगा एवं ऐसी हानी के मूल्य का निर्धारण कर उसकी कटौती का निर्णय मुख्या कार्यपालन/प्रभारी अधिकारी द्वारा कर प्राप्त अग्रीम में समायोजित किया जा सकेगा।

15. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संयंत्र प्रभारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
16. संयंत्र के प्रभारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।
17. **Force majour clause** लागू रहेंगे जिसके निर्धारण करने हेतु निगम के संयंत्र के प्रभारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकृत रहेंगे।
18. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगें, आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पोषण आहार संयंत्र मण्डला

अनुसूची–3

मुर्गीदाना का क्रय करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो संयंत्र द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । संयंत्र की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में **मुर्गीदाना का क्रय** करने हेतु सहमत हूँ ।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पोषण आहार संयंत्र मण्डला) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत संयंत्र द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति संयंत्र हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि से कर सकता है ।

हम/ हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में संयंत्र के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र कानिरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

FINANCIAL BID EXCEL SHEET

Annexure 4

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FOR SELLING OF WASTE MURGIDANA AT MANDLA PLANT

The rate is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted for Unit as mentioned

Name of the Bidder ....
Address --

Murgi Dana

SR	PLACE	Unit	RATE PER MT		
			RATE	GST	TOTAL
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	Murgi Dana	Per Kg		0%	

Note: Rates mentioned in column no 4 will be considered for comparison purpose.

Signature of the Bidder along with seal

अनुसूची–5

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास संयंत्र जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''संयंत्र'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे '' मुर्गीदाना सेवा प्रदाता '' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि संयंत्र द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डला पर मुर्गीदाना का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । मुर्गीदाना सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

संयंत्र द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से ठेकेदार के ऑफर को मान्य किया गया है / संयंत्र की प्रतिप्रस्तावित दर प्रदायक द्वारा मान्य करते हुए मण्डलाा जिला मण्डला में स्थापित पोषण आहार संयंत्र में मुर्गीदाना के क्रय किये जाने हेतु अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. मुर्गीदाना के क्रय क्रयकर्ता का सहमति पत्र
3. मुर्गीदाना के क्रय क्रयकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

गवाह :

1.

2.

1.

2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)